



## करियर परामर्श / मार्गदर्शन प्रकोष्ठ

### यह संस्थान क्या है

करियर परामर्श या मार्गदर्शन प्रकोष्ठ – सामान्यतः एक नामित समन्वयक के साथ एक कक्ष – किसी कॉलेज, विद्यालय, या रोजगार कार्यालय के भीतर एक इकाई है जो विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों, करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं, और आगे की शिक्षा के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) अनिवार्य करता है कि प्रत्येक संबद्ध कॉलेज में एक करियर परामर्श प्रकोष्ठ हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और समग्र शिक्षा अभियान के तहत, खंड संसाधन केंद्र (BRC) में प्रति खंड एक ARP (शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति) करियर परामर्श हेतु नियुक्त किया जाना है, जो कम-से-कम हर 15 दिन में विद्यालयों को क्लस्टर-स्तरीय करियर मार्गदर्शन प्रदान करता है। रोजगार कार्यालय स्तर पर, मॉडल करियर केंद्र (MCC) में समर्पित परामर्श कक्ष होते हैं। यह कोई स्वतंत्र संस्थान नहीं है – यह अन्य संस्थानों के भीतर मिलता है।

### यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आप कक्षा 10 या 12 के बाद विषय-धाराओं में से चुनाव कर रहे हैं, यह तय करने में उलझे हैं कि किन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, या छात्रवृत्तियों एवं नौकरी के अवसरों की जानकारी ढूँढ रहे हैं, तो करियर परामर्श प्रकोष्ठ वह जगह है जहाँ आपको निःशुल्क मार्गदर्शन मिलना चाहिए।



## अभिशासन

कानून / नीति	दायरा
करियर परामर्श प्रकोष्ठों के लिए UGC दिशा-निर्देश	प्रत्येक संबद्ध कॉलेज में समन्वयक और समिति वाला प्रकोष्ठ अनिवार्य
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) संबद्धता उप-नियम, 2018, खंड 2.4.12 (CBSE परिपत्र 02/2026 दिनांक 19.01.2026 द्वारा संशोधित)	प्रत्येक CBSE-संबद्ध माध्यमिक / वरिष्ठ-माध्यमिक विद्यालय (a) प्रति 500 विद्यार्थियों पर एक पूर्णकालिक परामर्श एवं कल्याण शिक्षक (सामाजिक-भावनात्मक काउंसलर) तथा (b) कक्षा IX-XII में नामांकित प्रति 500 विद्यार्थियों पर एक करियर काउंसलर नियुक्त करेगा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर करियर मार्गदर्शन पर बल देती है
समग्र शिक्षा अभियान – BRC में करियर परामर्श हेतु ARP प्रावधान दिशा-निर्देश	प्रति खंड एक शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति करियर परामर्श हेतु (खंड संसाधन केंद्र, BRC), प्रति क्लस्टर 8-10 विद्यालयों को कक्षा 9-12 हेतु समूह सत्रों के साथ सेवा देता है; वेतन समग्र शिक्षा शिक्षक-वेतन शीर्ष के अंतर्गत
ITI के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) संबद्धता मानदंड (2025), धारा 6.2 + अवसंरचना अनुसूची	प्रत्येक संबद्ध ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में प्रशिक्षण-उपरांत रोजगार और उद्यमशीलता संभावनाओं पर प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन देने के लिए समर्पित 50 वर्ग मीटर के प्लेसमेंट/परामर्श कक्ष के साथ अनिवार्य प्लेसमेंट और परामर्श प्रकोष्ठ
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (APH) 2024-2027 (धारा 3.3, 6.22, 6.53 तथा 6.15(a) पर संदर्भित AICTE पे-स्केल एवं सेवा-शर्त विनियमन 2019)	पॉलिटेक्निक / AICTE-अनुमोदित तकनीकी संस्थानों को प्लेसमेंट कार्यालय (अनिवार्य निर्मित क्षेत्र) प्रदान करना, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों को शैक्षणिक-स्टाफ़ संवर्ग के रूप में मान्यता देना, अंतिम-वर्ष इंटरशिप अनिवार्य करना और उद्योग समझौता ज्ञापन (MoU) रिपोर्ट करना, और एक संस्थान-उद्योग प्रकोष्ठ संचालित करना आवश्यक है
राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) मिशन मोड परियोजना	समर्पित परामर्श कार्यों वाले मॉडल करियर केंद्र

- **कॉलेज:** प्रधानाचार्य एक समन्वयक (फ़ैकल्टी सदस्य) और समिति नियुक्त करते हैं
- **करियर परामर्श समिति (UGC):** समन्वयक (फ़ैकल्टी), प्रत्येक विभाग से प्रतिनिधि, दो विद्यार्थी प्रतिनिधि, एक पूर्व छात्र प्रतिनिधि, और एक बाहरी विशेषज्ञ (उद्योग या रोजगार कार्यालय); परामर्श गतिविधियों, प्लेसमेंट परिणामों, और नियोक्ता प्रतिक्रिया की समीक्षा प्रति शैक्षणिक वर्ष कम-से-कम दो बार करती है
- **विद्यालय:** जहाँ उपलब्ध हो, परामर्शदाता तैनात; विद्यालयों के लिए, मनोदर्पण जिला समन्वयक संदर्भ और मनो-सामाजिक संपर्क प्रदान करते हैं
- **रोजगार कार्यालय:** जिला रोजगार अधिकारी (DEO) करियर मार्गदर्शन कार्य की निगरानी करते हैं
- **मेज़बान संस्थान के भीतर रिपोर्टिंग रेखा:** प्रकोष्ठ समन्वयक प्रधानाचार्य / छात्र कल्याण अधिष्ठाता को रिपोर्ट करते हैं; मॉडल करियर केंद्र (MCC) यंग प्रोफेशनल DEO को रिपोर्ट करता है
- **वित्त-पोषण:** कोई समर्पित केंद्रीय वित्त-पोषण नहीं; संस्थागत बजट, UGC विकास अनुदान, या NCS (MCC के लिए) पर निर्भर



## मुख्य पद

पद	उत्तरदायित्व
करियर परामर्श प्रकोष्ठ समन्वयक (कॉलेज)	अतिरिक्त प्रभार वाले फ़ैकल्टी सदस्य; सत्र आयोजित करते हैं, नियोक्ताओं और पूर्व छात्रों के साथ समन्वय करते हैं
परामर्श एवं कल्याण शिक्षक (सामाजिक-भावनात्मक काउंसलर), CBSE-संबद्ध विद्यालय	पूर्णकालिक पद; प्रति 500 नामांकित विद्यार्थियों पर एक; न्यूनतम योग्यताओं में मनोविज्ञान / समाज कार्य में डिग्री या स्कूल काउंसलिंग में डिप्लोमा, और 50 घंटे का CBSE-अनुमोदित क्षमता-निर्माण शामिल
करियर काउंसलर, CBSE-संबद्ध विद्यालय	पूर्णकालिक पद; कक्षा IX-XII में नामांकित प्रति 500 विद्यार्थियों पर एक; मानविकी / विज्ञान / सामाजिक विज्ञान / प्रबंधन / शिक्षा / प्रौद्योगिकी में डिग्री, और 50 घंटे का CBSE-अनुमोदित क्षमता-निर्माण; प्रशिक्षित शिक्षक अनंतिम रूप से दो शैक्षणिक वर्ष तक कार्य कर सकते हैं
शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति – करियर परामर्श (BRC)	खंड-स्तरीय समर्पित परामर्शदाता (परामर्श में डिप्लोमा सहित स्नातक, अथवा PG (स्नातकोत्तर) डिप्लोमा / मनोविज्ञान में मास्टर्स वरीयता) जो 8-10 विद्यालयों को कवर करता है; कक्षा 9-12 के लिए समूह सत्र; अभिवृत्ति परीक्षण, धारा-चयन, प्रवेश-परीक्षा और छात्रवृत्ति मार्गदर्शन
प्लेसमेंट एवं परामर्श प्रकोष्ठ प्रभारी (ITI)	सामान्यतः अतिरिक्त प्रभार वाले फ़ैकल्टी; DGT 2025 संबद्धता मानदंडों के तहत प्रशिक्षुओं को रोजगार और उद्यमशीलता संभावनाओं पर मार्गदर्शन देते हैं; OJT (कार्य-स्थल प्रशिक्षण) संपर्क DGT OJT दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अलग से संभाला जाता है
प्रशिक्षण एवं नियुक्ति कर्मचारी (पॉलिटैक्निक)	APH 6.15(a) पर संदर्भित AICTE 2019 पे-स्केल विनियमन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक-स्टाफ़ संवर्ग; प्राथमिक कर्तव्य उद्योग-संपर्क और छात्र प्लेसमेंट; संस्थान-उद्योग प्रकोष्ठ (APH 6.53.p) व्यापक उद्योग समन्वय संभालता है
यंग प्रोफेशनल (MCC में)	मॉडल करियर केंद्रों में करियर परामर्श और रोजगार मेला समन्वय

## अनिवार्य सेवाएँ

- कक्षा 10 और कक्षा 12 के संघियों पर पाठ्यक्रम और धारा-चयन मार्गदर्शन
- प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी: JEE (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा), CUET (सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा), राज्य प्रवेश परीक्षाएँ, बैंकिंग, SSC (कर्मचारी चयन आयोग), UPSC (संघ लोक सेवा आयोग)
- करियर पथ-मानचित्रण: कौन सी योग्यताएँ कौन सी नौकरियों तक ले जाती हैं
- जहाँ उपलब्ध हो, मनोमितीय उपकरणों के माध्यम से अभिवृत्ति और रुचि आकलन
- उद्योग और पूर्व छात्र संपर्क: नियोक्ता दौरे, कार्यस्थल अनुभव
- छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता की जानकारी
- करियर सूचना, परीक्षा तिथियों, और अवसरों के साथ एक सूचना बोर्ड बनाए रखना
- स्किल इंडिया, NCS पोर्टल पंजीकरण और नेविगेशन समर्थन, उद्यमिता-विकास सूचना, और डिजिटल-साक्षरता बुनियादी जानकारी से संपर्क प्रदान करना (MCC और NCS पैनल केंद्रों के माध्यम से दिए जाते हैं)

## संबद्ध योजनाएँ

- राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS)** – नौकरी सूचियाँ, करियर संसाधन, और मॉडल करियर केंद्र
- स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH)** – निःशुल्क CV बिल्डर, रोजगार-योग्यता और करियर-तैयारी पाठ्यक्रम और वीडियो
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) (स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)** – प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK) द्वारा संचालित मोबिलाइजेशन अभियान और कौशल मेले
- समग्र शिक्षा (काउंसलर घटक)** – कुछ राज्यों में विद्यालय-स्तरीय काउंसलर
- राज्य-विशिष्ट करियर मेले** – जिला-स्तरीय करियर मेले

## कैसे हूँ

**पोर्टल:** ncs.gov.in – अपने जिले में मॉडल करियर केंद्र खोजें; जिले के सरकारी डिग्री कॉलेज में उसके करियर परामर्श प्रकोष्ठ की भी जानकारी लें



**इसके अलावा:** जिला रोजगार कार्यालय या जिला मुख्यालय के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज में जाएँ और करियर परामर्श प्रकोष्ठ या प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के बारे में पूछें

## मुख्य सुविधाएँ

एक क्रियाशील करियर परामर्श प्रकोष्ठ में होना चाहिए: कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन वाला समर्पित कक्ष, वर्तमान परीक्षा तिथियाँ, छात्रवृत्ति समय-सीमाएँ, और नौकरी अवसर दर्शाने वाला सूचना बोर्ड, करियर-संबंधित संदर्भ सामग्री, और जहाँ उपलब्ध हो वहाँ मनोमितीय परीक्षण उपकरणों तक पहुँच।

## एक क्रियाशील करियर परामर्श प्रकोष्ठ कैसा दिखता है

- प्रकोष्ठ के लिए नामित समन्वयक और समर्पित कक्ष मौजूद हैं
- वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में करियर परामर्श सत्र या कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं
- सूचना बोर्ड वर्तमान सूचना (इस वर्ष की परीक्षा तिथियाँ, छात्रवृत्ति समय-सीमाएँ) दर्शाता है
- विद्यार्थी जानते हैं कि प्रकोष्ठ मौजूद है और बता सकते हैं कि यह क्या प्रदान करता है
- नियोक्ताओं, पूर्व छात्रों, या गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ बाहरी साझेदारियाँ प्रकोष्ठ की गतिविधियों का समर्थन करती हैं
- समन्वयक के पास करियर मार्गदर्शन में प्रासंगिक प्रशिक्षण या पृष्ठभूमि है

## शिकायत निवारण

**सेवा वितरण के दौरान।** पहला संपर्क बिंदु प्रकोष्ठ समन्वयक (कॉलेजों के लिए), करियर काउंसलर / परामर्श एवं कल्याण शिक्षक (CBSE-संबद्ध विद्यालयों के लिए), समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के लिए BRC शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति, या MCC यंग प्रोफेशनल है। मेज़बान संस्थान के भीतर एस्केलेशन छात्र कल्याण अधिष्ठाता (कॉलेज) या प्रधानाचार्य (विद्यालय) तक है।

**सेवा के बाद।** मामला UGC (कॉलेज), राज्य शिक्षा विभाग (विद्यालय), या रोजगार महानिदेशालय (DGE) (MCC) तक बढ़ाया जाता है।

**बाहरी।** UGC [ugc.gov.in](http://ugc.gov.in) पर एक शिकायत पोर्टल चलाता है। NCS हेल्पलाइन (1514) MCC-संबद्ध परामर्श शिकायतें संभालती है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, [pgportal.gov.in](http://pgportal.gov.in)) केंद्रीय-मंत्रालय एस्केलेशन कवर करती है।